कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11564/2020 घासीलाल वर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2020 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड II व III भर्ती परीक्षा 2013 में आयोग द्वारा दिनांक 16.12.2016 को जारी संशोधित परिणाम के द्वारा मुख्य सूची में वरीयता क्रमांक 2316–ए पर चयनित एवं अभिस्तावित याचिकार्थी को विभाग द्वारा जिला आवंटन प्रक्रिया में बाड़मेर जिला आवंटित कर राउमावि चौरवला, बायतू, जिला–बाड़मेर में पदस्थापित किया गया जबकि समान भर्ती परीक्षा में आयोग द्वारा आरक्षित सूची में वरीयता क्रमांक आर–927 पर चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थी श्री कैलाश चन्द सामरिया को गृह जिले दौसा के नजदीक भरतपुर जिला आवंटित कर राउमावि शक्करपुर, रूपवास, जिला–भरतपुर में पदस्थापित किया गया। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर बाड़मेर जिले से गृह जिले दौसा में स्थानान्तरण करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.20 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III पद हेतु राज्य सरकार द्वारा जिला आवंटन बाबत् प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक 29.03.2016 के अनुसार जिलेवार विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर उस जिलें को आवंटित किए जाएंगे। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III की रिक्तियों (आरक्षण सहित) की गणना जिलेवार ही की जाती है अतः जिले के वर्गवार (सामान्य/आरक्षित श्रेणियॉ यथा महिला/एससी/एसटी/ओबीसी/ एसबीसी/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा–परित्यक्ता इत्यादि) विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप वर्गवार मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जिले की प्राथमिकता के अनुसार जिला आवंटित किया जावेगा, के निर्देश दिए गए थे जिसके अनुसार ही जिला आवंटन किया गया है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड II व III भर्ती 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2017 की पालना में अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट प्रदान किये जाने के फलस्वरूप आयोग द्वारा दिनांक 24.08.2017 को जारी संशोधित परिणाम में याचिकार्थी का शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद पर मुख्य सूची में वरीयता क्रमांक 2316–ए, वर्ग एवं चयन वर्ग SCM पर चयन किया गया। विभागीय नियमानुसार विज्ञापित पदों में से तत्समय उपलब्ध रिक्तियों में से याचिकार्थी को उसके वर्ग एवं चयन वर्गवार मेरिट के आधार पर उसके द्वारा दी गई जिले की प्राथमिकता के अनुसार 26वीं प्राथमिकता पर अंकित बाड़मेर जिला आवंटित किया गया।

याचिकार्थी द्वारा वर्ग एवं चयन वर्ग SCM के अभ्यर्थी अनिल कुमार सामरिया को भरतपुर जिला आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थी का चयन आरक्षित सूची में वरीयता क्रमांक आर–927 पर किया जाना पाया गया। आरक्षित सूची में चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु विभागीय नीति अनुसार शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III पद पर चयनित जितने अभ्यर्थियों द्वारा जिलेवार चयन वर्गवार कार्यग्रहण नहीं किया गया है, उन जिलों में उतनी संख्या में आरक्षित सूची में चयनित अभ्यर्थियों को वर्गवार कार्यग्रहण नहीं करने से हुई रिक्तियों की संख्या तक आनलाईन प्राप्त विकल्प पत्र की प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित जिला एवं आयोग द्वारा आरक्षित सूची की वरीयता अनुसार आवंटित किये गए है। इस प्रकार मुख्य परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों की तुलना आरक्षित सूची में चयनित अभ्यर्थियों से किया जाना उपयुक्त एवं तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों को मुख्य परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप उपलब्ध हुई वर्गवार रिक्तियों के प्रति विभागीय नीति एवं वरीयता अनुसार ही आवंटित किया गया।

राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–1971 के अनुसार शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III का पद जिला कैडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर वर्गवार एवं जिलेवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये

जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरूद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं।

अतः याचिकार्थी द्वारा बाड़मेर जिले से दौसा जिले में स्थानान्तरण करने हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध/13081/2020 दिनांकः– 18.02.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. उप विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, बाड़मेर
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
5. याचिकार्थी श्री घासी लाल वर्मा पुत्र श्री रामनाथ वर्मा, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III, राउमावि चौरवला, बायतू, जिला–बाड़मेर **(रजिस्टर्ड)**
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)